vfHk'kklu lq/kkj vfHk;ku ds vUrxZr iapk;r ds fo'k;ksa dk lqiqnZxhdj.k eqnns ij ,d fnolh; dk;Z'kkyk dk vk;kstu fnukad 20&12&2009

LFkku& दिशा कैम्पस बाग सुलतानपुर चिलकाना
vk;kstd& दिशा सामाजिक संगठन सुलतानपुर चिलकाना, सहारनपुर

ifdz;k& इस कार्यशाला का आयोजन करने के लिए सबसे पहले हमने जिला सहारनपुर के सभी 11 ब्लॉक की जिला पंचायत सदस्यों की सूची, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सूची, ग्राम प्रधानों की सूची तथा वार्ड मेम्बरों की सूची एकत्रित की। इसके बाद हमने उस सूची से 200 प्रतिनिधियों का चयन किया जिनको हम इस कार्यशाला में बुलाना चाहते है। हमने 200 निमंत्रण पत्र सहारनपुर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों को दिये और इन्हे कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद दिनांक 20 दिसम्बर 2009 को दिशा सामाजिक संगठन सुलतानपुर–चिलकाना के प्रशिक्षण केन्द्र में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

dk;Z'kkyk

दिनांकः 20 दिसम्बर 2009 को प्रातः 11:30 बजे दिशा कैम्पस बाग सुलतानपुर–चिलकाना में पंचायतों के सशक्तिकरण व विषयों के सुपुर्दगीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला की शुरूआत दिशा के कार्यकर्ताओं द्वारा ले मशाले चल पडे है लोग मेरे गांव के गीत से हुई, उसके बाद संस्था के निदेशक श्री के0एन0 तिवारी ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि हमारे देश में 73 वां संविधान संशोधन आज से 15 साल पहले हुआ था जिसमें गांव के विकास की प्रक्रिया को गांव से ही भ्रुरू किया गया। समय समय पर सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जाती रही लेकिन जनता व पंचायत दोनों में ही जागरूकता की कमी के कारण योजनायें सफल नही हो पायी।

पहले 5 लोग मिलकर गांव को चलाते थे वो गांव की भली प्रकार से देखभाल करते थे। लेकिन आज पंचायते व गांव से सम्बन्धित अन्य समीतियां होते हुये भी गांव का विकास सही ढंग से नही हो पा रहा है।

सन् 1885 में स्थानीय निकाय अधिनियम 1885 बनाया गया। स्थानीय स्वशासी संस्थायें स्थापित करने के लिए इसे आधार माना गया। स्थानीय स्वशासन द्वारा छोटे मोटे मामलों का ही निपटारा किया जाता था। लेकिन ये निकाय पूर्णरूप से लोकतांत्रिक नही थे क्योंकि इनके ज्यादातर सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे।

सन् 1952 में हमारे देश में ब्लॉक बनाये गये जिनके माध्यम से गांव का विकास हो सकें। लेकिन इसमें आम जनता की राय नही पूछी गयी इसी कारण यह कार्यक्रम सफल नही हो सका।

इसके बाद सन् 1957 में बलवंतराय मेहता कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधर पर सन् 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। गांव में इसका काम यह था कि गांव के लोगो को पूछकर तथा ज्यादातर कार्यक्रमो में स्थानीय लोगो को भाामिल कर कार्य किया जाये। उसके बाद 20 अप्रैल 1992 को भारत के राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति दी जिसे 73वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को 1993 में लागू किया गया। और तब से इसके माध्यम से ग्राम पंचायत में कार्य होना शुरू हुआ। इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और न्याय पंचायत तीन सभाओं का चयन हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्राम सभा को वि ोश स्थान दिया गया। इसके अन्तर्गत 5 वर्ष तक गांव पंचायत कार्य करेगी और अगर 6 माह के भीतर यह भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव होगा।

इसके अलावा उ0 प्र0 में केन्द्र के निर्देशानुसार पंचायत विधि संशोधन 1994 विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया। इसके बाद प्रदेश स्तर पर बजाज आयोग गठित किया गया जिसके द्वारा संविधान के अनुसूची 11 में दिये गये 29 विशयो के स्थान पर 3 कार्य और जोडते हुए 32 कार्य ग्राम पंचायत को दिये गये। लेकिन पंचायत राज विभाग के राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ नही की गयी। फलस्वरूप उच्च स्तरीय शासनादेशो में पंचायत को हस्तान्तरण के निहित उद्देश्यों की पूर्ति नही हो पायी।

पिछलों वर्शो से उपवन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए अपने सदस्य संगठनों के साथ सघन रूप से प्रयासरत् हैं। इसके लिए उपवन ने 12 जिलों का चयन किया जिसमें पंचायतों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूग किया जा सके।

इसके बाद दिशा कार्यकर्ता श्री अरूण कुमार ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत नही है और इसीलिए जनता को उनका सही लाभ नही मिलन पा रहा है। जब हमारी पंचायत जागरूक होगी तभी हमारे गांव विकास कर सकेगे। जैसे नरेगा का कार्य सभी जगह सही तरीके से नही हो रहा है। यदि हमारी पंचायतें जागरूक होगी और अपने अधिकार को समझ कर कार्य करेंगी तो सरकार द्वारा चलायी प्रत्येक योजना सफल होगी। जब पंचायत की मीटिंग होती है तो उसमें सभी वार्ड मेम्बरों को उपस्थित होना चाहिए।

ग्राम दमकडी के प्रधान श्री वेदप्रकाश जी ने कहा कि आज के दौर में ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्था ही खराब है। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नरेगा में जिसे काम मिलना चाहिए और जिसको काम की जरूरत भी है उसको काम नही मिल पा रहा हैं। अतः हम सबको जागरूक होना होगा तभी विकास सम्भव है।

ग्राम पटना के वार्ड मेम्बर ने कहा कि हमारी बात को कोई सुनता ही नही है। हमारे गांव के स्कूल की दीवार गिरने वाली है मैने कईं बार प्रधान जी से इस बारे में बात की है लेकिन उन्होने इस पर कोई ध्यान नही दिया हैं।

ग्राम दासामाजरा से आये प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसा नही है कि हम इकठ्ठा होकर कोई विकास का कार्य करायें और वो ना हो। हमने अपने गांव के लिए बारात घर बनवाने की मंजूरी ले ली हैं। लेकिन इसके लिए हमको संघर्श भी करना पडा है।

अन्त में श्री के0एन0 तिवारी ने कहा कि हम सबको मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना है क्योंकि गांव हमारे देश की नींव है और जब नींव मजबूत होगी तभी देश भी मजबूत होगा। इस सबके लिए जरूरी है कि हमारी पंचायते जागरूक व मजबूत हो तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है।

इस कार्यक्रम में लगभग 70 लोगो ने अपनी भागीदारी निभायी। जिसमें प्रधान व वार्ड मेम्बर शामिल रहे।